भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-125
उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

नीट परीक्षा प्रश्न-पत्र लीक संबंधी समिति

†125. **श्री आनंद भदौरिया:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीट परीक्षा के प्रश्न-पत्र लीक के बाद गठित डा. के. राधाकृष्णन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त समिति की प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर प्रश्न-पत्र लीक होने को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए प्रभावी उपाय सुझाने हेतु, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 22.06.2024 को डॉ. के. राधाकृष्णन, पूर्व अध्यक्ष इसरो और अध्यक्ष बीओजी, आईआईटी कानपुर की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसीई) का गठन किया। समिति ने दिनांक 21.10.2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और एनटीए को सुदृढ़ बनाने, राज्यों के साथ संस्थागत संबंध, ज्ञान और परीक्षा भागीदार के रूप में टेस्ट इंडेंटिंग एजेंसियों की भागीदारी आदि सहित राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा में सुधार की सिफारिश की है। समिति ने एनटीए पर एचएलसीई की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक उच्च-स्तरीय संचालन समिति के गठन की भी सिफारिश की है।

सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के निवारण के लिए, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम 21 जून, 2024 से लागू हुआ है तथा इसके अंतर्गत नियम 23 जून, 2024 को अधिसूचित किए गए हैं।

*****